

अभाव था। उदाहरण के लिए, वर्ष-1950 में भारत अपनी आवश्यकता की मशीनों के 90 प्रतिशत भाग का आयात करता था। यह भारतीय अर्थव्यवस्था की पिछड़ी अवस्था का प्रमाण है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के मध्य जनसंख्या का अत्यधिक विषमतामूलक अनुपात था। उदाहरण के लिए, 1951 में ग्रामीण जनसंख्या 82.3 प्रतिशत थी, इसके अतिरिक्त भारत में आर्थिक विषमता में अत्यधिक वृद्धि हुई। तत्कालीन समय में विद्यमान कोयले के उत्खनन, जूट उद्योग, बैंकिंग, बीमा और चाय बागानों पर पूर्णतः ब्रिटिश उद्योगों का नियंत्रण था। यद्यपि एक सकारात्मक पक्ष का उल्लेख भी किया जा सकता है। ब्रिटिश शासन द्वारा भारत में परिवहन एवं संचार की सुविधा का विकास तथा विशेष तौर पर रेलों का निर्माण किया गया। यह उल्लेखनीय है कि रेल का प्रयोग उपनिवेशवादी व्यवस्था को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया। ब्रिटेन और अमेरिका में रेलों के द्वारा औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा मिला, परंतु भारत में ऐसा नहीं हुआ।

सामाजिक क्षेत्र में प्रभाव

ब्रिटिश शासन के दौरान विशेषकर वर्ष-1914 के बाद भारत में प्रभावशाली घरेलू पूंजीपति वर्ग का विकास हुआ, जिनका स्वतंत्र, आर्थिक एवं वित्तीय आधार था। इसके अलावा यह भी उल्लेखनीय है कि भारत में उद्योग एवं पूंजीवाद का विकास तुलनात्मक रूप में अत्यंत ही पिछड़ा था। इसलिए ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में गरीबी, बीमारी और भूखमरी फैली हुई थी। अकाल की घटनाएं भारत के प्रत्येक भागों में देखी गईं। वर्ष-1943 के अंतर्गत बंगाल का अकाल उल्लेखनीय माना जाता है, जिनमें लाखों लोगों की मृत्यु हुई। भारत में अनेक प्रकार की बीमारियां फैली हुई थीं तथा स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल नगण्य, जल वितरण की सुविधा का अभाव एवं अनेक शहरों में बिजली नहीं थी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की कल्पना करना ही कठिन था। वर्ष-1951 में भारत में 84 प्रतिशत लोग निरक्षर थे। महिलाओं में निरक्षरता की यह दर 92 प्रतिशत और प्रति व्यक्ति आय कम तथा साथ ही जीवन स्तर भी गौण था। ब्रिटिश शासन की व्यवस्था के द्वारा उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया गया। इसके दो अत्यधिक नकारात्मक परिणाम देखे गए-

1. शिक्षित और आम लोगों के मध्य बहुत बड़ा अंतर हो गया।
 2. अंग्रेजी ने भारतीय भाषाओं के विकास को अवरुद्ध कर दिया, जिससे शिक्षा का प्रसार आम लोगों तक नहीं हो पाया।
- उपनिवेशवादी शिक्षा प्रणाली में केवल रटत विद्या पर बल दिया गया एवं लोगों की तार्किक विश्लेषणात्मक क्षमता के विकास की उपेक्षा की गई। इस शिक्षा व्यवस्था के द्वारा वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा तथा लड़कियों की शिक्षा की बिल्कुल उपेक्षा की गई।

राजनीतिक क्षेत्र में प्रभाव

उपनिवेशवादी राज्य की प्रकृति विरोधाभासी थी, क्योंकि यह राज्य मूलतः अधिनायकवादी एवं निरंकुशतावादी था, लेकिन इसमें कुछ उदारवादी तत्व भी विद्यमान थे। उदाहरण के लिए, विधि का शासन और स्वतंत्र न्यायपालिका का विकास किया गया, जिसके द्वारा निरंकुश एवं अधिनायकवादी प्रशासन से व्यक्तियों के अधिकारों एवं स्वतंत्रता की कुछ मात्रा में रक्षा की गई। ब्रिटिश शासन की विधियां दमनकारी थीं तथा इनका निर्माण भारतीयों द्वारा नहीं किया गया था, न ही इनके निर्माण में लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन किया गया। परिणामस्वरूप सिविल सेवकों एवं पुलिस के हाथ में असीमित शक्तियां थीं। यहां तक कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्यों का विभाजन भी नहीं था। उपनिवेशवादी वैधानिक व्यवस्था विधि के समक्ष समानता पर आधारित थी, परंतु वास्तविक रूप में न्यायपालिका द्वारा भेदभावपूर्ण व्यवहार किया गया। न्यायाधीशों ने सदैव अंग्रेजों का पक्ष लिया तथा न्याय की प्रणाली अत्यधिक खर्चीली और अत्यधिक जटिल थी, जो समाज के अमीर वर्गों के लिए उपयुक्त थी। उपनिवेशवादी शासन में व्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सामान्य समय में तो स्वीकार किया गया, लेकिन जनांदोलनों के दौरान इनको पूर्णतः समाप्त कर दिया। वर्ष-1857 के बाद स्वतंत्रताओं की अत्यधिक अवहेलना हुई।

ब्रिटिश उपनिवेशवादी राज्य की प्रकृति विरोधाभासी थी, क्योंकि वर्ष-1858 के बाद ब्रिटिश शासन द्वारा भारतीयों को क्रमिक रूप में संवैधानिक और आर्थिक सुविधाएं प्रदान की गईं, परंतु ब्रिटिश राजनेताओं और प्रशासकों ने भारत में प्रतिनिधिवादी लोकतंत्र की स्थापना का पूर्ण विरोध किया। यह स्पष्ट कहा गया कि लोकतंत्र भारत के लिए उपयुक्त नहीं था। ब्रिटेनवासियों ने भारत के लिए नरम अधिनायकवाद का समर्थन किया। इन्होंने कहा कि भारतीय इतिहास और संस्कृति के लिए यही उपयुक्त है, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनकारियों के दबाव के कारण इन्होंने केन्द्र और राज्य स्तर पर विधायिकाओं का निर्माण किया तथा चुनाव का प्रयोग किया गया। यह बिंदु उल्लेखनीय है कि 1919 के बाद केवल 3 प्रतिशत भारतीयों को